Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

कृष्ण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़

बनाम

इन्शाअल्लाह पत्नी मोहम्मद रफी जाति मुसलमान निवासी सैनी धर्मशाला के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ आदि

किस्म मुकदमा:–शि0प्रा0पत्र अ0 धारा 11, 14 कॉलो एक्ट सपठित धारा 14 (4) प्र0स0 45/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.08.2021	प्रार्थी द्वारा यह शिकायत प्रार्थना जरिये अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी, इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 सहपठित धारा के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी मय शपथ पत्र व इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 39/2014 अनवान हेतराम पुत्र अनुराम बनाम इन्शाहअलाह पत्नी मोहम्मद रफी में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2016 की प्रति व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 58/2016 अनवान हेतराम बनाम इन्शाहअल्लाह आदि में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीया संख्या 01 ने रोही किशनपुरा के खसरा न. 460 के 3.631 है0 बारानी भूमि टीसी आवंटन तथाकथित तरीके से उसके देवर तत्कालीन पटवारी असरफ अली खान ने करवाया है। अप्रर्थीया का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। कब्जा काश्त के अभाव में इस रकबा के खातेदारी अधिकार तहसीलदार सूरतगढ़ से दिनांक 30.04.2013 को प्राप्त कर इस रकबा का बेचान बाद में अप्रार्थी संख्या 02 मुस्तफा रजा को कर दिया है। यह टीसी आवंटन एवं खातेदारी अधिकार खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी के विरूद्व स्थगन जारी किया जावे कि वे जैरप्रकरण रकबा का रहन, बैय, हस्तांतरण ना करे। अधिवक्ता अप्राथीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के पति के नाम से रोही किशनपुरा के खसरा न. 137 व 460 में 25.00 बीघा रकबा टीसी आवंटन था अप्रार्थीया के पति का सडक दुर्घटना में आकस्मि निधन हो जाने के पश्चात यह रकबा अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम से दिनांक 01.04.1987 से टीसी नवीनीकरण होकर अप्रार्थीया संख्या 01 के कब्जा काश्त में चली आ रही थी जिसकी रकम अप्रार्थीया दिनांक 01.04.1987 से लगातार जगा करवाती आ रही है तथा मालिकाना अप्रार्थीया के नाम से कायम हो रहा था। हर वर्ष कब्जा काश्त की जांच करके ही टीसी नवीनीकरण अप्रार्थीया के नाम से होता आ रहा था। अप्रार्थीया के पति, सास, ससूर, दादा सास–ससूर सूरतगढ़ के 1955 से पहले के निवासी है तथा अप्रार्थीया के पति का पेशा काश्तकारी था तथा अप्रार्थीया स्वयं का पेशा काश्तकारी है । अप्रार्थीया के पति व स्वयं अप्रार्थीया ने स्वयं इस रकबा को बंजडतोड कर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थीया का टीसी आवंटित रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त हो जाने के पश्चात आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में खातेदारी प्राप्त करने की तमाम शर्तो की पालना अप्रार्थीया द्वारा की जा रही थी व कब्जा काश्त की जांच किये जाने के उपरांत ही दिनांक 30.04.2013 को प्रार्थीया के नाम से उक्त रकबा के खातेदारी अधिकारी जारी हुए है। अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम के टीसी आवंटन आदेश एवं दिनांक 30.04.2013 को खातेदारी अधिकार जारी करने के आदेश के विरूद्व पूर्व में एक शिकायत प्रार्थना पत्र संख्या संख्या 39/2014 अनवान हेतराम पुत्र अनुराम बनाम इन्शाहअलाह पत्नी मोहम्मद रफी इसी न्यायालय में पेश किया गया था। उस शिकायत का अन्तिम निर्णय उभय पक्ष को सुनकर तथा तहसीलदार सूरतगढ़ से रकबा की जांच करवा कर शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2016 को खारिज कर अप्रार्थीया	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ जिला–श्री गंगानगर

Scanned by CamScanner

इन्शाहअल्लाह का टीसी आवंटन व खातेदारी के बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 30.04.2013 बहाल रखा था। इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08.02.2016 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील प्रकरण संख्या 58/2016 अनवान हेतराम बनाम इन्शाहअल्लाह आदि पेश की गई, जिसका निर्णय दिनांक 08.04.2016 हो गया व अपील अपीलांट खारिज कर दी गई। अब एक नये शिकायतकर्ता ने यह नयी शिकायत उन्ही बिन्दुओं व उन्ही तथ्यों के आधार पर पेश कर अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए पेश की है। कानूनी नजीर आरआरटी 2017 पार्ट–II पेज 1154 व आरबीजे 2001 पेज 82 तथा धारा 115 साक्ष्य अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि पूर्व में शिकायत का अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात पूर्व न्याय के सिद्वांत के आधार पर यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी के आक्षेपो को खण्डन करते हुए निवेदन किया कि पूर्व का शिकायतकर्ता एवं वर्तमान शिकायतकर्ता अलग–अलग है। इस रकबा पर अप्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं है। पूर्व में तहसीलदार द्वारा सही जांच नहीं की गई। उक्त रकबा अप्रार्थीया का बैयनामी आवंटन है। उक्त आवंटन फर्जकारी कर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से बैयनामा करवाया है। अप्रार्थीया के आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है व इसी अनुपात में द्वितीय व तृतीय वर्ष में पूर्ण भूइिग पर कब्जा होना आवश्यक है। पूर्व के शिकायत प्रार्थना पत्र के निर्णय में प्रार्थी पक्षकार नहीं था। इसलिए अप्रार्थी का आक्षेप खारिज किया जाकर शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जैर प्रकरण भूमि के रहन, बैय, हस्तांतरण ना करने हेतु पाबंद किया जावे!

हमने उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। यह बात साबित होती है कि अप्रार्थीया संख्या 01 के टीसी आवंटन एवं नवीनीकरण आदेशों व खातेदारी जारी होने के आदेश दिनांक 30.04.2013 के विरूद्व इसी न्यायालय में पूर्व में एक शिकायत प्रकरण संख्या 39/2014 अनवान हेतराम पुत्र अनुराम बनाम इन्शाहअल्लाह पत्नी मोहम्द रफी प्रस्तुत हुई थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ पक्षकार था। उक्त प्रकरण में दोनो पक्षो के साक्ष्य लिये जाकर सभी तथ्यों की जांच कर अन्तिम निर्णय दिनांक 08.02.2016 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 58/2016 अपील हेतराम बनाम इन्शाहअल्लाह आदि प्रस्तुत की गई जो दिनांक 04.08.2016 को निरस्त हो चुकी है। पुनः इसी रकबा यथा रोही किशनपुरा के खसरा न. 460 की 3.631 है0 के टीसी आवंटन आदेश व खातेदारी आदेश के विरूद्व उन्ही तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा पुनः शिकायत पेश की है, जो कि पूर्व न्याय के सिद्वांत आधार पर सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर शिकायत प्रार्थना सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला गंगानगर)

Scanned by CamScanner